न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 51/2024

UPRN180006412024

सीता निगम आदि बनाम रमा निगम आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र 29 ग 2 धारा 5 परिसीमा अधिनियम

दिनांक – 15/11/2025

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

वादिनी सीता निगम द्वारा प्रार्थना पत्र 29 ग 2 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र 30 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादिनी अस्वस्थ होने के कारण मा० न्यायालय के समक्ष स्थानापन्न/संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी। वादिनी ने जानबूझकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई चूक नहीं की है, बल्कि अस्वस्थता के कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी। उक्त तथ्यों के आधार पर वादिनी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का लाभ देते हुए प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र की सुनवाई गुण–दोष के आधार पर किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी की ओर से लिखित आपत्ति की गयी।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि प्रतिवादी सं० 1 रमा निगम की मृत्यु दिनांक 15/09/2024 हो गयी है, किन्तु वादिनी द्वारा स्थानापन्न प्रार्थना पत्र दिनांक 30/07/2025 को दिया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में लगभग 10 माह का विलम्ब है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादी का प्रार्थना पत्र 29 ग 2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 29 ग 2 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मु० 2000/–रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

निस्तारण प्रार्थना पत्र 27 क 1 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी०पी०सी०

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

वादिनी सीता निगम की ओर से प्रार्थना पत्र 27 क 1 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथ पत्र 28 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं० 1 रमा निगम की मृत्यु दिनांक 15/09/2024 को हो चुकी है। वादीगण प्रतिवादी सं० 1 रमा निगम के पुत्रवधू व पौत्र/वारिस हूँ एवं वाद में वादी है। विचाराधीन वाद के प्रतिवादी सं० 1 रमा निगम की मृत्यु के समय मृतक के उत्तराधिकारी सीता निगम पत्नी स्व० मनोज निगम, अशं निगम पुत्र स्व० मनोज निगम, पूजा निगम पत्नी स्व० जीतेन्द्र निगम, शुभ निगम पुत्र स्व० जीतेन्द्र निगम, कृष्णा निगम पुत्र स्व० जीतेन्द्र निगम, सचिन निगम पुत्र स्व० कौशल किशोर निगम है। उक्त के अतिरिक्त प्रार्थिनी की जानकारी में मृतक

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2025.11.15 14:40:16 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge(J.D.)&J.M. Ghatampur Kanpur Dehat

प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मृतक प्रतिवादी सं० 1 की मृत्यु के बाद उक्त उत्तराधिकारीगण के विरुद्ध भी वाद का कारण निरन्तर बना हुआ है। जिसमें सीता निगम व अंश निगम पहले से ही वादी के रूप में पक्षकार हैं एवं सचिन निगम प्रतिवादी सं० 2 के रूप में पक्षकार है। अतः पूजा निगम, शुभ निगम व कृष्णा निगम को प्रतिवादी सं० 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र 27 क 1 के माध्यम से वादपत्र में मृतक प्रतिवादी सं० 1 रमा निगम का प्रतिस्थापन एवं उनके स्थान पर उनके वारिसान पूजा निगम, शुभ निगम व कृष्णा निगम को प्रतिस्थापित करना चाहते है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है तथा वाद के अन्तिम रूप से निस्तारण में सहायता मिलेगी। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। ऐसी स्थिति में वादिनी का प्रार्थना पत्र 27 क 1 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 27 क 1 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथ पत्र 28 ग 2 स्वीकार किया जाता है। वादिनी वाद पत्र में अविलम्ब प्रस्तावित संशोधन करें। पत्रावली वास्ते संशोधन/अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15/12/2025 को पेश हो।

दिनांक – 15/11/2025

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562